रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231308
CG-DL-E-23112021-231308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
No. 666] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 825(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 40 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (निक्षेप निधि में धन उपयोजन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थात्:-

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको अधिनियम, प्रवृत्त होता है;

(ग) "निक्षेप निधि" से अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन उसके ऋणों के समापन या बोर्ड की

सेवा हेतु पृथक रखी गई राशि या राशियां, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप निधि का भाग बनने वाली राशियां भी हैं, अभिप्रेत हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है ।

3. निक्षेप निधि को अभिदाय – अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन निक्षेप निधि के रुप में बोर्ड द्वारा पृथक रखी गई राशि या राशियां मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पृथक रखी जाएंगी ।

4. निक्षेप निधि का उपयोग – बोर्ड, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में निक्षेप निधि रखेगा और उसकी निधियां लोक प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों या विनिधान विकल्पों जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे, निक्षेप किया जाएगा ।

5. निक्षेप निधि की परीक्षा – (1) किसी ऋण के समापन हेतु स्थापित निक्षेप निधि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस निमित्त उसकी ओर से नियुक्त किया जा सके, द्वारा वार्षिक परीक्षा की शर्त के अधीन होगा ।

(2) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा उपनियम (1) के अधीन निक्षेप निधि की परीक्षा के संबंध में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि निक्षेप निधि में जमा प्रतिभूतियों का चालू बाजार मूल्य और नकद नियमित रुप से किए गए विनिधान द्वारा संक्षिप्त रकम के वस्तुत: बराबर है और उस पर मूलत: प्राकथित ब्याज की दर अभिप्राप्त की गई थी ।

(3) बोर्ड निक्षेप निधि या निधियों की वार्षिक परीक्षा संचालन हेतु उपनियम (1) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित कम रकम का संदाय तुरंत निक्षेप निधि में करेगा।

(4) यदि निक्षेप निधि में जमा प्रतिभूतियों का चालू बाजार मूल्य और नकद उस रकम से अधिक है जो उसके खाते में जमा होना चाहिए था, भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिक रकम का अधिप्रमाणन करेगा और बोर्ड, --

(क) नियम 5 के अधीन विनिधान की गई अधिप्रमाणित अधिक संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा या बोर्ड को अपेक्षित चालू बाजार मूल्य की प्रतिभूतियों को तुरंत अंतरित कर सकेगा या बोर्ड को अपेक्षित वर्तमान बाजार मूल्य की प्रतिभूतियां और नकद अंतरित करेगा; या

(ख) अधिनियम या इन नियमों के अधीन निक्षेप निधि में मासिक या तिमाही या अर्द्धवार्षिक या वार्षिक अभिदायों को बंद या कटौती कर सकेगा; या

(ग) इन नियमों के किसी समूह को अपनाएगा ।

[फा. सं. पीडी-24015/21/2021-पीडी-I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 825(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 40 read with sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Major Port Authorities (Application of Money in Sinking Fund) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) "appointed day" means the date on which the Act comes into force;

(c) "sinking fund" means the sum or sums set apart by the Board to service or liquidate its loans under sub-section (1) of section 40 of the Act and include the sums forming part of any sinking fund referred to in sub-section (2) of section 40 of the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Contribution to sinking fund.— The sum or sums to be set apart by the Board as sinking fund under sub-section (1) of section 40 of the Act shall be set apart on a monthly, quarterly, half-yearly or annual basis.

4. Utilisation of sinking fund.— The Board shall hold the sinking fund in trust for the purposes of the Act and the funds thereof shall be invested in public securities or in such other securities or investment options as the Central Government may approve from time to time.

5. Examination of sinking fund.— (1) The sinking fund established for the liquidation of any loan shall be subject to annual examination by the Comptroller and Auditor General of India or such other person as may be appointed by him in this behalf.

(2) The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the examination of sinking fund under sub-rule (1) shall ascertain whether the cash and current market value of the securities at the credit of the sinking fund are actually equal to the amount which would have been accumulated had investment been regularly made and had the rate of interest as originally estimated been obtained thereon.

(3) The Board shall pay forthwith into the sinking fund any amount which the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him under sub-rule (1) to conduct the annual examination of the sinking fund or funds may certify to be deficient.

(4) If the cash and the current market value of the securities at the credit of the sinking fund is in excess of the amount which should be at its credit, the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him under sub-rule (1) shall certify the amount of this excess, and the Board may –

(a) withdraw the whole or any part of the certified excess amount invested under rule 5, shall forthwith transfer securities of the requisite current market value, or cash and securities of the requisite current market value, to the Board; or

(b) reduce or discontinue the monthly or quarterly or half yearly or yearly contributions to the sinking fund under the Act and these rules; or

(c) adopt a combination of these measures.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.11.23 22:38:48 +05'30'